निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1183) पटना, बुधवार, 2 जुलाई 2025

शिक्षा विभाग

अधिसूचना
2 जुलाई 2025

सं0 **11/नि 03–03/2025/1624**—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के "परन्तुक" के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय परिचारी संवर्ग का गठन करते हुये निम्नांकित नियमावली बनाते हैं ।–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।–
   - (क) यह नियमावली ''बिहार राज्य विद्यालय परिचारी (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।
   - (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   - (ग) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ** ।– इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई बात न हो –
   - (i) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार;
   - (ii) **"प्रशासी विभाग"** से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग;
   - (iii) **"विद्यालय"** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिसमें सभी उत्क्रमित/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित होंगे ;
   - (iv) **"माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा–10 तक की पढ़ाई होती है;
   - (v) **"उच्च माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा–12 तक की पढ़ाई होती है;
   - (vi) **''जिला परिषद्''** से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद् ;
   - (vii) **''नगर निकाय''** से अभिप्रेत है, शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधीन गठित स्वशासी संस्था–नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत;

(viii) **“संवर्ग”** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विद्यालय परिचारी संवर्ग ;

(ix) **“नियुक्ति प्राधिकार”** से अभिप्रेत है, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी;

(x) **‘संवर्ग नियंत्री प्राधिकार’** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार का शिक्षा विभाग;

(xi) **“अनुशासनिक प्राधिकार”** से अभिप्रेत है, जो प्राधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो;

(xii) ''**अपीलीयप्राधिकार**'' से अभिप्रेत है, संबंधित प्रमण्डल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक;

(xiii) **“विद्यालय परिचारी”** से अभिप्रेत है, बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 एवं विभागीय संकल्प संख्या–1128 दिनांक– 21.08.2020 के प्रावधान के अन्तर्गत नियुक्त विद्यालय परिचारी एवं इस नियमावली के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य हेतु नियुक्त विद्यालय परिचारी;

(xiv) **“विद्यालय सहायक”** से अभिप्रेत है, बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 एवं विभागीय संकल्प संख्या–1128 दिनांक– 21.08.2020 के प्रावधान के अन्तर्गत नियुक्त विद्यालय सहायक;

(xv) **“अनुकम्पा समिति”** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन विद्यालय परिचारी के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ;

(xvi) **“आयोग”** से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ;

3. **संवर्ग की संरचना।**–

(i) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी।

क्र0सं0	पदनाम	पद का स्तर
01	विद्यालय परिचारी	मूल कोटि
02	विद्यालय लिपिक	प्रोन्नति का प्रथम स्तर

(ii) इस संवर्ग में विभिन्न पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

4. **नियुक्ति की प्रक्रिया।**–

(i) इस संवर्ग में मूल कोटि के पद (विद्यालय परिचारी) पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय–समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की जा सकेगी।

(ii) मूल पद की रिक्तियों के विरूद्ध अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(iii) सीधी भर्ती हेतु अर्हताएँ निम्नवत् होगी।–

(क) भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का मूल निवासी हो।

(ख) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ मैट्रिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फौकानिया अथवा बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मध्यमा अथवा समकक्ष परीक्षा उर्त्तीण होना आवश्यक होगा।

(ग) न्यूनतम आयु सीमा 18वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार समय–समय पर विनिश्चित की जाय। न्यूतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की पहली अगस्त के आधार पर होगी।

5. **आरक्षण।**–इस संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

6. **परिवीक्षा अवधि ।**–सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि, योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले एक और वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवामुक्त कर सकेगा।

7. **प्रशिक्षण ।**–इस संवर्ग के कर्मी को संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

8. **सम्पुष्टि ।**–परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने और निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पर नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा सेवा सम्पुष्टि की जा सकेगी।

9. **वरीयता।**–सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर आयोग के मेधाक्रमानुसार किया जा सकेगा।

10. **स्थानान्तरण।**—यह पद सामान्यतः जिला के अन्दर स्थानान्तरणीय होगा। संबंधित कर्मी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा होना अथवा उनके विरूद्ध वित्तीय गबन का मामला संज्ञान में आने अथवा उनके कारण विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता हो तो नियुक्ति प्राधिकार स्वयं अथवा संबंधित प्रधानाध्यापक या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित कर्मी का विद्यालय हित में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित कर सकेंगे। विशेष परिस्थिति में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अन्य जिलों में भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

11. **अनुशासनिक कार्रवाई।**—

11.1 इस संवर्ग के शिक्षकेत्तर कर्मी अवचार या कदाचार के विभिन्न कृत्यों के लिए ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे, जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे।

11.2 विशेष रूप से, नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में विद्यालय परिचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम होगा।—

- क. अपने कर्त्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन नहीं करना;
- ख. कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति;
- ग. जानबूझकर अवज्ञा और अनुशासनहीनता;
- घ. विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना;
- ड. वित्तीय अनियमितता के मामले;
- च. सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव;
- छ. किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना;
- ज. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन;
- झ. कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे;

11.3 समझा गया निलंबन ।— इस संवर्ग के विद्यालय परिचारी जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक/पुलिस/सिविल अभिरक्षा में रहा है, उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा।

11.4 अनुशासनिक प्राधिकार, इस संवर्ग के दोषी विद्यालय परिचारी पर निम्नलिखित दंड अधिरोपित कर सकेगा।

क. वृहद् दंड—

- i. बर्खास्तगी
- ii. अनिवार्य सेवानिवृत्ति
- iii. निचले पद पर पदावनति
- iv. कम वेतनमान में पदावनति
- v. संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि (वेतन वृद्धियों) को रोकना

ख. लघु दंड—

- i. निन्दन
- ii. निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा
- iii. वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिनों से अधिक न हो
- iv. गैर—संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियों) को रोकना
- v. प्रोन्नति रोकना

11.5 **विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया ।**— अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय परिचारी के विरूद्ध ''बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023'' (समय—समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी।

12. **अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति ।**—सेवाकाल में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी की मृत्यु होने पर संबंधित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जिस जिले के विद्यालय में कार्यरत थे, उसी जिले में विद्यालय परिचारीके पद पर नियुक्ति के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। अनुकंपा के आधार पर विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति तत्समय प्रवृत नीति के अनुसार की जायेगी और अपेक्षित योग्यता एवं रिक्ति के अधीन होगी।

13. **अपील ।**—इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत विद्यालय परिचारीकी सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को होगी।

14. **प्रकीर्ण ।**—

(i) शिक्षा विभाग के संकल्प सं0—1128 दिनांक—21.08.2020 द्वारा स्वीकृत विद्यालय परिचारी के 1129 पद इस नियमावली के तहत स्वीकृत समझे जाएँगे।

(ii) शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या–1128 दिनांक–21.08.2020 के आलोक में मरणशील घोषित राजकीय/राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ वर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के पद रिक्ति के फलस्वरूप स्वतः ''विद्यालय परिचारी'' में परिवर्तित हो जाएँगे।

(iii) शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1128 दिनांक 21.08.2020 के आलोक में जिलों में अनुकम्पा के आधार पर नियोजित विद्यालय परिचारी इस नियमावली के तहत विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त समझे जाएँगे।

15. **अवशिष्ट मामले** ।–इस नियमावली में जिन विषयों के लिये विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है, उनके लिये सरकार के प्रासंगिक संहिता/नियमवाली/संकल्प/अनुदेश में समकक्ष स्तर के कर्मियों के संदर्भ में विहित प्रावधान लागू होंगे।

16. **कठिनाईयों का निराकरण** ।–इस नियमावली के उपबंधो के कार्यान्वयन में होनेवाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा विधि विभाग के परामर्श से समय–समय पर सामान्य या विशेष निदेश जारी किया जा सकेगा।

17. **शिथिल करने की शक्ति** ।–जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस नियमावली के किन्ही उपबंधों को सरकार द्वारा शिथिल किया जा सकेगा।

18. **निर्वचन** ।–इस नियमावली के किन्ही उपबंधो के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से सवंर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

19. **निरसन एवं व्यावृत्ति** ।–

(i) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के नियोजन सम्बन्धी शिक्षा विभाग का संकल्प सं0–1128 दिनांक– 21.08.2020 निरसित माना जाएगा। परन्तु इस निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व तत्कालीन प्रवृत्त संकल्प के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी मानो वे सभी इस नियमावली के अधीन किये गए हों।

(ii) पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत अधिसूचनाएँ, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वैसे निदेश, जो इन नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे, वह स्वतः इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएगें।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 एस0 सिद्धार्थ,
अपर मुख्य सचिव।

The 2nd July 2025

No. 11/Ni.-03-03/2025/1624—In exercise of the powers conferred under *Proviso* to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, for appointment to the post of *Vidyalaya Parichari* in the Secondary / Senior Secondary schools of the State and to regulate their Service Conditions, hereby makes the following Rules:-

1. **Short Title, Extent and Commencement:**
   (a) These Rules shall be called "Bihar State Vidyalaya Parichari (Appointment, Service Conditions and Disciplinary Proceedings) Cadre Rules, 2025".
   (b) It shall extend all over the State of Bihar.
   (c) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
2. **Definitions:** In these Rules, unless there is anything repugnant to the subject or context-
   (i) "**Government**" means the Bihar Government;
   (ii) "**Administrative Department**" means the Education Department;
   (iii) "**School**" means Government, Nationalized, Project Girls and Government Basic School managed and controlled by the Bihar Government which shall also include all Upgraded / Newly Established Senior Secondary School;
   (iv) "**Secondary School**" means Government/Nationalized/Project Girls Senior Secondary School/Newly Established Secondary School/ Upgraded Secondary School in which teaching up to class 10 is done;

(v) "**Senior Secondary School**" means Government / Nationalized / Project Girls Senior Secondary School / Newly Established Senior Secondary School / Upgraded Senior Secondary School in which teaching up to class 12 is done;

(vi) "***Zila Parishad***" means *Zila Parishad* constituted under the Bihar Panchayat Raj Act, 2006;

(vii) "***Nagar Nikay***" means autonomous institutions – *Nagar Nigam, Nagar Parishad and Nagar Panchayat* for urban areas constituted under the Bihar Municipal Act, 2007;

(viii) "**Cadre**" means Bihar State Vidyalaya Parichari cadre;

(ix) "**Appointing Authority**" means District Education Officer of the concerned district;

(x) "**Cadre Controlling Authority**" means Education department of the State Government;

(xi) "**Disciplinary Authority**" means the authority competent for appointment;

(xii) "**Appellate Authority**" means Regional Deputy Director of Education of the concerned Division;

(xiii) "**Vidyalaya Parichari**" means the Vidyalaya Parichari appointed under the provisions of Bihar Zila Parishad Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020 and Bihar Nagar Nikay Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020 and Departmental Resolution No. 1128 dated 21.08.2020 and Vidyalaya Parichari employed under these Rules for non-teaching activities in the Secondary and Senior secondary schools;

(xiv) "**Vidyalaya Sahayak**" means the Vidyalaya Sahayak appointed under the provisions of Bihar Zila Parishad Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020 and Bihar Nagar Nikay Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020 and Departmental Resolution No. 1128 dated 21.08.2020;

(xv) "**Compassionate Committee** " means the Committee constituted under the Chairmanship of the concerned District Magistrate to recommend for appointment on compassionate grounds to the post of Vidyalaya Parichari under these Rules;

(xvi) "**Commission**" means Bihar Staff Selection Commission;

3. **Structure of Cadre:**

(i) The structure of this cadre shall be as follows:

Sl. No.	Designation	Post Level
01	Vidyalaya Parichari	Basic Grade
02	School Clerk	First level of Promotion

(ii) The sanctioned strength of various posts in this cadre shall be as determined by the Government from time-to-time.

4. Process of appointment:

(i) Appointment to the basic category post (Vidyalaya Parichari) in this cadre by direct recruitment shall be made on the basis of the result of the competitive examination held from time-to-time by the Commission for this purpose.

(ii) Appointment on compassionate grounds may be made against the vacancies available for direct recruitment to the basic grade.

(iii) The qualifications for direct recruitment shall be as follows:

(a) Should be a Citizen of India and a permanent resident of Bihar State.

(b) Should have passed Matriculation with minimum 45% marks from a recognized Board or *Fauquania* from Bihar State Madarsa Education Board or *Madhyama* from Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University or equivalent shall be necessary.

(c) The minimum age limit shall be 18 years and the maximum age limit for each category shall be the same as notified by the State Government (General Administration Department) from time-to-time. The minimum age shall be calculated on the basis of 1st of August of the respective year.

5. Reservation- The provisions for reservation implemented by the State Government from time-to-time shall be applicable for appointment and promotion under these Rules.

6. Probation Period- The probation period for employees appointed by direct recruitment shall be one year from the date of joining. In case the service is found to be not satisfactory during the Probation period, the probation period may be extended for further one year. If the service is found to be not satisfactory even in the extended period, then the Appointing Authority may dismiss such employee.

7. Training- The employee of this cadre will have to successfully complete the training as decided by the cadre controlling authority from time-to-time.

8. **Confirmation-** Confirmation in service shall be done by the appointing authority after satisfactory completion of Probation period and successfully completing the prescribed training.

9. Seniority- The seniority of employees appointed through direct appointment shall be determined at district level as per merit list of the Commission.

10. Transfer- This post shall be transferable generally within the district. In case there is a criminal case against the concerned employee or a case of financial embezzlement against the employee has come to notice or if the educational environment is negatively affected due to the concerned employee then the appointing authority either itself or upon the recommendation of the concerned Headmaster or the Officer of the Education department may transfer the concerned employee to another school from the administrative point of view in the interest of the school. In special circumstances, inter-district transfer may be done by the Director, Secondary Education.

11. Disciplinary Proceeding-

11.1. The non-teaching employees of this cadre shall be subject to such disciplinary actions for various acts of misconduct or misbehavior, as may be determined by the appointing authority.

11.2. In particular, the appointing authority shall be competent to initiate disciplinary proceedings against the Vidyalaya Parichari in the following cases:

a. Not performing his / her duties / responsibilities;

b. Unauthorized absence from work;

c. Willful disobedience and indiscipline;
d. Not contributing in the educational environment of the school;
e. Cases of financial irregularity;
f. Lack of integrity in public life;
g. Being involved in any criminal case;
h. Violation of provisions of Bihar Government Servants Code of Conduct, 1976;
i. Any other matter which the disciplinary authority may consider.

11.3. **Deemed suspension**: Any Vidyalaya Parichari of this cadre who has been in judicial / police / civil custody for more than 48 hours shall be deemed to be suspended and disciplinary authority shall pass such order.

11.4. The disciplinary authority may impose the following penalties on the delinquent Vidyalaya Parichari of this cadre:

A. Major punishment:
(i) Dismissal from service;
(ii) Compulsory retirement;
(iii) Demotion to a lower post;
(iv) Demotion to a lower pay-scale;
(v) Withholding of increment(s) with cumulative effect.

B. Minor punishment:
(i) Censure;
(ii) Requiring to mark attendance in such manner and before such authority for specified number of days;
(iii) Imposing financial penalty by way of deduction from salary not exceeding 15 days;
(iv) Withholding of increment(s) with non-cumulative effect;
(v) Withholding promotion.

11.5. **Procedure for initiating departmental proceedings:** The departmental proceedings against the Vidyalaya Parichari appointed under these Rules shall be completed / conducted by the disciplinary authority as per the provisions of the Bihar State School Teacher (Appointment, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2023 (as amended from time-to-time).

12. Appointment on Compassionate ground-On death of a teaching / non-teaching staff during service, the dependent of the concerned staff shall be able to apply for appointment to the post of Vidyalaya Parichari in the same district in which the teaching/non-teaching staff was employed through the concerned District Education Officer. The appointment on the post of Vidyalaya Parichari on compassionate grounds shall be done as per the then prevailing policy and shall be subject to the required qualification and vacancy.

13. Appeal-The Regional Deputy Director of Education shall be empowered to decide after hearing Appeals in relation to appointment under these Rules and Appeals in matters related to service conditions of Vidyalaya Parichari working under these Rules.

14. Miscellaneous-

(i) 1129 posts of Vidyalaya Parichari sanctioned vide resolution no. 1128 dated 21.08.2020 of the Education Department shall be deemed to be sanctioned under these Rules.

(ii) The Class – IV post of *Adeshpal* in the Government/Nationalized Secondary and Senior Secondary Schools, Project Girls' Secondary

and Senior Secondary School declared as *moribund* in light of the resolution no. 1128 dated 21.08.2020 shall be deemed to be converted into 'Vidyalaya Parichari' upon vacancy.

(iii) The Vidyalaya Parichari employed on compassionate grounds in the district in light of the resolution no. 1128 dated 21.08.2020 shall be deemed to be appointed on post of Vidyalaya Parichari under these Rules.

15. Residual matters- For matters regarding which specific provisions have not been made in these Rules, the provisions contained in the relevant Code/Rules/ Resolutions/Instructions of the Government in respect of employees of equivalent level shall apply.

16. Removal of difficulties- General or special directions may be issued from time-to-time by the cadre controlling authority in consultation with the law department for removal of difficulties arising in implementation of the provisions of these Rules.

17. Power to relax- Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, any of the provisions of these Rules may be relaxed by the Government for reasons to be recorded in writing.

18. Interpretation- If any doubt arises regarding interpretation of any provisions of these Rules, a decision may be taken by the cadre controlling authority in consultation with the General Administration Department.

19. Repeal and Savings-

(i) The resolution no. 1128 dated 21.08.2020 of the Education department regarding the employment of Vidyalaya Sahayak and Vidyalaya Parichari shall be deemed to be repealed from the date of coming into force of these Rules. However, despite this repeal, any work done or action taken under the then in force resolution before the date of coming into force of these Rules shall be deemed to be work done or action taken under these Rules as if all of them were done under these Rules.

(ii) All such direction contained in notifications, orders, circulars, letters etc. issued in the course of implementation of earlier Rules, which are inconsistent with the provisions of these Rules, shall be deemed to be amended as per the provisions of these Rules.

By Order of the Governor of Bihar,
Dr. S. Siddharth,
Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1183-571+3000-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in